न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस का प्रकार–

केस संख्या– 311/2019–20,

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 1940/हि0शा0 एवं दिनांक–27.05.19 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव बसनही थाना कांड संख्या– 40/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान ग्राम–बलिया, थाना–बसनही, घटना की तिथि– 19.04.19 के साथ वर्णित है कि– "यह कांड वादी स0अ0नि0 अशोक कुमार राम पिता–स्व0 रंगीला राम सा0+थाना–कोरान सराय वर्त्तमान बसनही थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्ति अमन कुमार पिता सबल किशोर यादव सा0–चण्डिका स्थान जम्हारा थाना–सोनवर्षाराज जिला–सहरसा के विरूद्ध देशी महुआ शराब रखने/परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है। कांड का सारांश यह है कि वादी अशोक कुमार राम पिता–स्व0 रंगीला राम सा0+थाना–कोरान सराय वर्त्तमान बसनही थाना सशस्त्र बल के साथ दिनांक–19.04.19 को दिवा गश्ती के दौरान ग्राम बलिया में विभूति ठाकुर के दरबाजे के पास रोड पर अमन कुमार पिता–सबल किशोर यादव सा0–चण्डिका स्थान जम्हारा थाना–सोनवर्षाराज जिला–सहरसा को हीरो स्पेलेन्डर काला ब्लू रंग का रजि0 नं0 BR-19M-3932 मोटर साईकिल एवं दो गैलन में चौबीस (24) लीटर देशी महुआ शराब के साथ पकड़ा गया। जिसके संबंध में बसनही थाना कांड सं0–40/19 दिनांक–19.04.19 धारा	

30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया।''

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक सबल किशोर यादव, पिता– चितनारायण यादव, साकिन–चण्डिका स्थान जम्हरा, थाना–सोनवर्षाराज, जिला–सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाहन मालिक का कहना है कि जप्त वाहन से संबंधित समस्त कागजात उनके पास उपलब्ध है। जप्त वाहन को मुक्त किये जाने को लेकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC NO-20671/2029 दायर किया गया। जिसके अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जप्त वाहन के मुक्ति हेतु इस न्यायालय में आवेदन दाखिल किये जाने हेतु निदेशित किया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में ही इनके द्वारा इस न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

वाहन मालिक का आगे कहना है कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC NO- 20671/2020 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक शर्तो के अनुपालन किये जाने हेतु तैयार हैं। उनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ जप्त वाहन को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब के परिवहन हेतु किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस वाहन का अधिहरण करना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों के

	आलोक में इस जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3932 को राज्य के पक्ष में अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत समाहर्त्ता सहरसा। समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 1062..../न्याया०, सहरसा, दिनांक- 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।